प्र.सं. 17/2022 वेसिया व अन्य बनाम हवसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूपगढ़, तहसील कुशलगढ़ में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के संयुक्त स्वामित्व की आराजी नंबर 361, 441, 442, 443, 458 कुल किता 5 रकबा 20.10 एकड़ भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 10 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का 1/3 हिस्सा होकर आपसी बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की नियत खराब होने से वे वादीगण के हिस्से को लेकर विवाद करते हैं। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष हकरा जी के तीन पुत्र हींगा, मालजी व काला हुए। हींगा के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं, मालजी के वारिस प्रतिवादी संख्या 4 से 7 हैं तथा काला के वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 से 10 हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2008 को वादीगण का वाद स्वीकार प्रारम्भिक डिकी जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 18.03.2008 को अंतिम डिकी जारी की तथा दिनांक 24.04.2008 को वादीगण द्वारा 140/– रूपये का स्टाम्प प्रस्तुत करने पर पुनः अंतिम डिकी जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16.09.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री तरूण कुमार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण पर सम्यक रूप से तामिल नहीं हुई है, [illegible] मानकर एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया। [illegible].2022 को जब रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण को धमकी [illegible] गयी, तब उक्त निर्णय व डिकी की [illegible] करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील [illegible] शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किये।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:39 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
[illegible] राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। हालांकि अपील करीब 14 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, किन्तु इसका कोई खण्डन रेस्पोन्डेन्ट की ओर से नहीं किया गया है। अतः अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण को सम्मन प्राप्त नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया है तथा मौका पर्चा भी अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है, जिससे वे अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। विभाजन में अपीलान्टगण के कब्जे की भूमि रेस्पोन्डेन्टगण को दे दी गयी है, जिससे दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2008 जो प्रारम्भिक डिकी जारी की गयी है वह मात्र वादीगण की बहस सुनकर जारी की गयी है तथा उसके आधार पर जो फर्द बंटवारा तैयार किया गया है, वह भी पक्षकारान की अनुपस्थिति में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। तद्नुसार उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिकी जारी की गयी है वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 187/2007 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.04.2008 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.06.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:36:39 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर